संख्या- 9/2019 /2018/ 1767 / चार-2018

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभागः **लखनऊः दिनांक 22 जनवरी, 2019**

विषयः- वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-6 में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या-फैजाबाद के कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3606/सं0नि0-7(सा0वे0आ0)/2016-17 दिनांक 06 मार्च, 2018 के अनुक्रम में अवगत कराना है कि उ0प्र0 की स्वशासी संस्थाओं के संबंध में वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-6 में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त कतिपय संशोधन के साथ वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के संकल्प संख्या-64/2016-वे0आ0-2-2645/दस-04(एम)/2016 दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया है।

2. अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या-फैजाबाद के कार्मिकों को संलग्नक-1 की तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स दिनांक 01 जनवरी, 2016 से अथवा सम्बन्धित कार्मिक के विकल्प की तिथि को प्राप्त हो रहे वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के आधार पर अनुमन्य किया जायेगा।

3. पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निर्धारण एवं वेतन वृद्धियां वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 एवं इस क्रम में निर्गत अन्य शासनादेशों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अपनाये जाने हेतु विकल्प का प्रारूप एवं वचनबंध का प्रारूप संलग्नक-2 व 3 पर संलग्न है।

4. अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या-फैजाबाद के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण एवं महंगाई भत्ते का नगद भुगतान शासनादेश निर्गत होने की तिथि से किया जायेगा एवं दिनांक 01 जनवरी, 2016 से शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक देय अवशेष का भुगतान राज्य कर्मचारियों की भांति किया जायेगा।

5. अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या-फैजाबाद में कोई कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर तैनात है तो उसे पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स एवं अन्य भत्ते अपने मूल विभाग/अधिष्ठान के पद के संदर्भ में अनुमन्य होंगे।

6. अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या-फैजाबाद के कार्मिकों को यदि राजकीय कार्मिकों से इतर कोई सुविधा अनुमन्य है तो उसका पुनरीक्षण राज्य सरकार की सहमति से ही किया जायेगा।

7. अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या-फैजाबाद के कार्मिकों के लिये वर्तमान में लागू ए0सी0पी0 की व्यवस्था को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में इस प्रतिबन्ध के अधीन बनाये रखा जायेगा कि इसकी अनुमन्यता हेतु संतोषजनक सेवाओं के परीक्षण का वही मानक होगा, जैसा कि राज्य कर्मचारियों के लिए अपनाया जाय।

8. अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या-फैजाबाद के कार्मिकों के कार्यकुशल एवं अच्छे कर्मचारियों के मनोबल को प्रोत्साहित करने तथा ऐसे कार्मिक, जो अपने दायित्वों के निर्वहन में पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी रूचि नहीं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

लेते हैं, उनकी इस मानसिकता को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से ऐसे कार्मिकों को, जो प्रथम 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने तक ए0सी0पी0 अथवा नियमित पदोन्नति के निर्धारित मापदण्ड को पूरा नहीं करते है, उन्हें आगे वार्षिक वेतनवृद्धियॉ स्वीकृत करने के सम्बन्ध में राज्य कर्मचारियों की भॉति व्यवस्था की जाय।

9. अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या-फैजाबाद के ऐसे पेंशनर जिन्हें पेंशन की सुविधा पूर्व से राजकीय विभागों के सादृश्य पर अनुमन्य हैं, की पेंशन पुनरीक्षण की वही प्रक्रिया अपनायी जाय, जो राजकीय पेंशनरों के संबंध में अपनायी गयी है। साथ ही अन्य ऐसे सेवा-नैवृत्तिक लाभों, जो पूर्व से राजकीय विभागों के सादृश्य पर अनुमन्य है, का पुनरीक्षण भी राजकीय विभागों के पेंशनरों हेतु अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

10. अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या-फैजाबाद के ऐसे कार्मिक, जिन्हें राजकीय कर्मियों की भांति पेंशन सुविधा देय नहीं है, उनके मामले में राज्य सरकार द्वारा लागू की गयी नयी पेंशन नीति के सादृश्यता पर अथवा अन्यथा कोई व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

11. इस शासनादेश के निर्गत होने के दिनांक से अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या-फैजाबाद में पदों पर भर्ती, पदों का सृजन तथा अस्थायी कर्मचारियों का स्थायीकरण पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में ही किया जायेगा।

12. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या- ई-7-1202 / दस-2018 दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या- 9/2019 /2018/ 1767 / चार-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (प्रथम) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. निदेशक, पेंशन निदेशालय, इंदिरा भवन, लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
7. निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. उप निदेशक, एन0आई0सी0 (प्रशासनिक भवन), ई- फ्लोर, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
10. निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या-फैजाबाद ।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिशिर)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/